भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1639**

जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है।

किसानों को उर्वरक राजसहायता

†**1639. श्री धर्मवीर सिंहः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों को प्रदान की गई राजसहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा उर्वरक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उर्वरकों के लिए प्रदान की जाने वाली राजसहायता का लाभ गरीब और सीमांत किसानों को नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में उर्वरक से संबंधित राजसहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष 2019-20 के दौरान 26.06.2019 तक सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों पर उपलब्ध कराई गई उर्वरक-वार राजसहायता **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। राजसहायता के भुगतान के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राजसहायता का भुगतान उर्वरक कंपनियों को किया जाता है।

(ख): जी, नहीं। किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जा रहा है। 45 कि.ग्रा. की यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों तथा लागू करों को छोड़कर) तथा 50 कि.ग्रा. की यूरिया की बोरी का एमआरपी 268 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों तथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्मगेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों की निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। तदनुसार, सरकार द्वारा प्रदत्त राजसहायता के कारण किसान वहनीय एमआरपी पर यूरिया प्राप्त कर रहे हैं।

जहां तक फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों का संबंध है, सरकार पीएण्डके उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम कार्यान्वित कर रही है। उक्त स्कीम के अंतर्गत, वार्षिक आधार पर निर्धारित राजसहायता की एक नियत राशि राजसहायता प्राप्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके पोषकतत्व घटक के आधार पर दी जाती है। यह राजसहायता पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इसीलिए वे किसानों को राजसहायता प्राप्त एमआरपी पर पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध कराने में सक्षम हैं जोकि राजसहायता न दिए जाने की स्थिति में होने वाले मूल्य से कम है। तदनुसार, जो किसान एमआरपी पर इन उर्वरकों का क्रय कर रहा है वह राजसहायता के लाभ की सुविधा प्राप्त कर रहा है।

(ग) और (घ): उर्वरक डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कम्पनियों को जारी की जाती है, न कि क्रेताओं को। सभी राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की बिक्री किसानों/क्रेताओं को प्रत्येक खुदरा विक्रेता दुकान पर लगाए गए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से की जाती है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्यम से की जाती है।

****

अनुलग्नक-I

पिछले तीन वर्ष (2016-17 से 2018-19) के दौरान और वर्तमान वर्ष 2019-20 के दौरान 26.06.2019 तक सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों पर उपलब्ध कराई गई उर्वरक-वार राजसहायता का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	स्वदेशी यूरिया	आयातित यूरिया	स्वदेशी पीएण्डके	शहरी कम्पोस्ट	आयातित पीएण्डके	सकल राजसहायता
2016-17	40000.00	11256.59	11842.88	0.55	6999.99	70100.01
2017-18	36973.70	9980.00	14337.00	7.26	7900.00	69197.96
2018-19	32189.50	17155.36	14820.35	10.00	9260.00	73435.21
2019-20 (26.06.2019 की स्थिति के अनुसार)	17940.38	1736.40	4718.98	7.33	4793.73	29196.82

******